

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- गम्भीरपुर

हत्या का प्रयास व गोवध अधिनियम में वांछित दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में तथा प्र० नि० ज्ञानुप्रिया व व.उ.नि. नवल किशोर सिंह मय राह उ.नि. ओमप्रकाश श्रीवास्तव , हे.का. इन्द्रपाल यादव के मुखबीर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. फैसल पुत्र जुम्नन व 2. महबूब पुत्र जुम्नन निवासीगण ग्राम गौरी थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ सम्बन्धित मु.अ.स. 34/2021 धारा 307 व 34 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम को कारण गिरफ्तारी का कारण बताकर समय करीब 10.35 बजे कस्बा बिन्द्रा बाजार स्थित पटेल ढाबा तिराहा से हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० मु.अ.स. 34/2021 धारा 307 व 34 भादवि व 3/5/8 गोवध निवारण अधि० थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. फैसल पुत्र जुम्नन ग्राम गौरी थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़
2. महबूब पुत्र जुम्नन निवासीगण ग्राम गौरी थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र.नि. ज्ञानुप्रिया, व.उ.नि. नवल किशोर सिंह मय राह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2- उ.नि. ओमप्रकाश श्रीवास्तव, हे.का. इन्द्रपाल यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

थाना बिलरियागंज

अवैध गोमांश के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में उ०नि० ओमप्रकाश यादव-। थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 22.04.2021 को मय फोर्स के तहत तलाश वांछित /वारण्टी अपराधी रोकथाम देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर खास सूचना मिली की हेगाईपुर गाँव की तरफ से एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति एक बोरी में गाय का मांस लेकर शहाबुद्दीनपुर की तरफ आ रहे हैं इस सूचना पर विश्वास करके हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुए पटवध बाजार में पिकेट डियूटी पर मौजूद हे 0का0 कमला प्रसाद सिंह व का 0 नितिन कुमार को तलब कर मकसद बताते हुए मय मुखबिर खास के प्रस्थान कर शहाबुद्दीनपुर के पास हेगाईपुर मोड़ के पहले पहुँचे कि हेगाईपुर गाँव की तरफ से एक मोटर साइकिल आती हुई दिखाई दी कि मुखबिर इ शारा करके हट बढ़ गया। पुलिस टीम सामने से आती हुई मोटर साइकिल को टार्च की रोशनी में रूकने का इ शारा किया गया तो अचानक पुलिस को सामने देखकर मोटर साइकिल चला रहा व्यक्ति हड़बड़ाहट में मोटर साइकिल पीछे मोड़ना चाहा कि मोटर साइकिल के पीछे बैठा व्यक्ति एक बोरी को हाथ में लिये हुए रोड के किनारे गिर गया और मोटर साइकिल सहित चालक भाग गया। पुलिस टीम द्वारा रोड के किनारे गिरे हुए व्यक्ति को घेर घार कर एक प्लास्टिक की बोरी के साथ पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम अल्लमश पुत्र शहबान निवासी ग्राम सिकन्दरपुर आइमा थाना महाराजगंज , जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष बताया तथा पास में एक प्लास्टिक की बोरी जिसके मुह को खोलकर देखा गया तो ताजा गोमांस कटा खुन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पकड़े गये व्यक्ति से भागने वाला का नाम पता पूछा गया तो स्पष्ट नाम पता नहीं बता रहा है। तत्पश्चात काटे गये गोमांस के बारे में पूछने पर अपनी गलती की बार बार मांफी मांगते हुए बता रहे हैं कि साहब यह गोमांश महाराजगंज से लाकर मुस्लिम बाहुल्य गाँव में बेचते है। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० का अपराध पाकर बताकर समय करीब 16.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु०अ०सं० 73/2021 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अल्लमश पुत्र शहबान निवासी ग्राम सिकन्दरपुर आइमा थाना महाराजगंज।

बरामदगी-

46 किलो 600 ग्राम गोमांस।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ०नि० ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 2- हे०का० कमला प्रसाद सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 3- का० अरुण सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 4- का० रवि प्रभाकरथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

5- का0 तेज बहादुर सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

5- का0 नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- महाराजगंज

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, एक मारुति कार बरामद

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.04.21 को SHO गजानन्द चौबे मय राह हे0का0 उमेश यादव , रि0का0 राहुल राज , महिला आरक्षी रागिनी सिंह व महिला आरक्षी मधुबाला यादव द्वारा पेंडिंग विवेचना मु0अ0सं0 110/20 धारा 364 , 511, 506 IPC, मु0अ0सं0 122/21 धारा 302 , 307, 504, 506, 34 IPC तथा थाना क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी व तलाश वांछित अपराधी की गिरफ्तारी में मामूर होकर कस्बा महाराजगंज के पास मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संजय पुत्र उदयभान निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज आजमगढ़ इस समय चार पहिया वाहन मारुति सुजुकी रिटज MH 31 DV 1758 जिससे घटना कारित की गयी है , उसी गाड़ी को चलाकर सरदहां बाजार से गोपालपुर होते हुए रग्घुपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से कहीं भागने की फिराक में है । इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम व मुखबीर खास के रवाना होकर रग्घुपुर तिराहे के पास आकर वाहनों की चेकिंग करने लगे कि कुछ देर बाद एक मारुति सुजुकी रिटज गाड़ी आती हुई दिखाई दी , जिसके तरफ मुखबीर इशारा करके हट गया कि उक्त वाहन का चालक पुलिस वालों को गाड़ियों की चेकिंग करते देखकर गाड़ी रोककर गाड़ी से निकलकर भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा उक्त व्यक्ति को 10 -15 कदम जाते-जाते एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संजय उर्फ रवीन्द्र पुत्र उदयभान यादव ग्राम कुढ़ही थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष बताया , जिसे मुकदमा उपरोक्त का जुर्म धारा से अवगत कराकर को समय करीब 22.30 बजे रात्रि नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- बदरियाफ्त संजय उर्फ रवीन्द्र पुत्र उदयभान निवासी ग्राम कुढ़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष पूछने पर बता रहा है कि साहब इस घटना में मेरा कोई दोष नहीं है । मेरे गांव के अनिल पुत्र जीवधन व उक्त ग्रामसभा के चन्द्रभूषण यादव पुत्र रामवृक्ष यादव से चुनाव व प्रधानी को लेकर रंजिश थी । इसी रंजिश को लेकर अनिल , अखिलेश अमरनाथ पुत्र राजेन्द्र निवासी जजीमनज्योति थाना महाराजगंज व रवि पुत्र मुरारी यादव नि0 आराजी देवारा करखिया (कोटिया) थाना रौनापार के कहने पर गाड़ी चलाकर चन्द्रभूषण के घर पर चला गया था , वहां पर ये लोग चन्द्रभूषण के घर पर इनके बड़े भाई राधेश्याम को गाली गुप्ता धमकी आदि दिये थे , वहां से लोग लौटकर आ रहे थे कि रास्ते में रैन बसेरा कुढ़ही बन्धे के पास चन्द्रभूषण का भतीजा बिट्टू उर्फ प्रिन्स मिल गया , वह हम लोगो को देखकर गाली गुप्ता देने लगा जिस पर अनिल अखिलेश अमरनाथ व रवि ये लोग मुझसे कहे के प्रिन्स उर्फ बिट्टू के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मार डालो , कि इन लोगो के कहने पर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया , साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 122/21 धारा 302, 307, 504, 506, 34 IPC , थाना-महाराजगंज, आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त

संजय पुत्र उदयभान निवासी कुढ़ही थाना महाराजगंज आजमगढ़

बरामदगी-

मारुति सुजुकी रिटज MH 31 DV 1758 बरंग चाकलेटी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- SHO गजानन्द चौबे मय राह हे0का0 उमेश यादव, मय हमराह थाना-महाराजगंज, आजमगढ़ ।

थाना- मेहनगर

हत्या का आरोपी गिरफ्तार

दिनांक 22.04.2021 को किरन सरोज पुत्री स्व0 प्रेम सरोज सा0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर खुद के पिता प्रेम सरोज पुत्र चन्नर सरोज को लाठी डण्डा से मारने पीटने जिससे उनकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया । तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 72/21 धारा 304 भा0द0व0 व 3(2) vsc/st एक्ट बनाम विकास सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह पता गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी लालगंज के द्वारा सम्पादित की जा रही थी ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में

आज दिनांक 23.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द तिवारी मय हमराह का0 सतोष कुमार सिंह, का0 राहुल यादव , का0 अजीत कुमार म0का0 बन्दना कन्नौजिया के रवानाशुदा रो0आम तारिखी दिरोजा से देखभाल क्षेत्र लंबित विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त , चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/कोविड-19 मे मामूर थे कि मुखबिर ने सूचना दी की आपके मुकदमें का वांछित अभियुक्त उटनी गोपालपुर जाने वाले रास्ते मेन रोड पर गेट के सामने कही जाने के लिये वाहन के इन्तजार में खड़ा है इस सूचना पर विश्वास करके प्र0नि0 मय हमराह व वाहन सरकारी व मय मुखविर के कस्बा मेंहनगर से प्रस्थान कर उटनी गोपालपुर जाने वाले रास्ते के 500 मीटर पहले जैसे ही पहुँचे उटनी गेट के पास खड़े व्यक्ति के तरफ मुखविर खास द्वारा इशारा करके हट बढ़ गया। पुलिस टीम जैसे ही उटनी गेट के पास पहुँची कि गेट के सामने खड़ा व्यक्ति उटनी जाने वाले रास्ते पर तेज कदमों से जाने लगा कि हमराह कर्म0गण के मदद से कुछ कदम जाने के उपरान्त घेरकर समय करीब 12.00 बजे पकड़ लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-72/21 धारा 304भा0द0वि व 3(2) vsc/st एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त

विकाश सिंह पुत्र देवेन्द्र सिंह सा0 गोपाल पुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी-

आलाकत्ल बरामदगी एक अदद लाठी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक सुनील चन्द तिवारी मय हमराह